

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

संचिका सं०-०३/कृ०रा०यो०-१०/२०२०

34

/कृ०, राँची, दिनांक-10-12-2020

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा - योजना-सह- वित्त विभाग (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार)
विषय - वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजनान्तर्गत एग्री क्लीनिक की स्थापना हेतु कुल राशि रु. 315.00 लाख (तीन करोड़ पन्द्रह लाख रु०) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

झारखण्ड राज्य में एग्री क्लीनिक योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसका उद्देश्य किसानों को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं उनके आय में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में प्रमण्डल स्तर पर एग्री क्लीनिक की स्थापना की जाएगी जिसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, पौधा संरक्षण एवं कृषि से संबद्ध अन्य विषयों पर किसानों को परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना का कार्यान्वयन-

एग्री क्लीनिक का संचालन- एग्री क्लीनिक की स्थापना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर भवन में प्रस्तावित है। यह भवन 1592 वर्ग फीट का है। इस भवन में 35x9 फीट का एक बरामदा, 20x15 फीट का एक, 12x10 फीट का दो, 15x10 फीट का दो कमरा के साथ शौचालय तथा 10x10 फीट का एक जेनेरेटर कमरा है। उक्त भवन में एग्री क्लीनिक के लिए विभिन्न कमरे निम्न अंकित ले-आउट के अनुसार कार्य करेंगे। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है -

1. बरामदा - कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था
2. कमरा न०-1 - एग्री क्लीनिक के संपर्क पदाधिकारी का कमरा, कम्प्यूटर रूम
3. कमरा न०-2 - एग्री क्लीनिक, कम्प्यूटर रूम
4. कमरा न०-3 - मिनी स्वाईल टेस्टिंग लैब
5. कमरा न०-4 - कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के विशेषज्ञ/पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी का कमरा
6. कमरा न०-5 - स्टोर रूम

एग्री क्लीनिक को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

कई स्थानों पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर भवन उपलब्ध नहीं है, ऐसी अवस्था में चयनित कार्यकारी एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे उपायुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क कर अनुमण्डल/प्रखण्ड में उपलब्ध किसी सरकारी भवन को आवंटित कराते हुए एग्री क्लिनिक स्थापित करेंगे। इसमें अनुमण्डल/जिला कृषि पदाधिकारी पूरा सहयोग करेंगे।

अपना मास्क सही से लगाना है, कोरोना को हराना है। 1

B

S

h

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में एग्री क्लीनिक की स्थापना अनुमण्डल के प्रखण्ड मुख्यालयों में की जायेगी, जिसके संचालन की सफलता के आधार पर इसे अगले वित्तीय वर्षों में इसका विस्तार राज्य के पूरे प्रखण्ड स्तर तक किया जायेगा।
3. एग्री क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाएँ- एग्री क्लीनिक में कृषकों को संलग्न तालिका विवरणी-2 के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी। एग्री क्लीनिक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं प्रक्रिया के संबंध में एग्री क्लीनिक के भवन के बाहर सुस्पष्ट रूप में सूचना अंकित की जायेगी। यह सूचना दीवार लेखन/बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। एग्री क्लीनिक में आने वाले कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था रहेगी।
4. एग्री क्लीनिक की कार्य प्रणाली - एग्री क्लीनिक प्रतिदिन 8 घंटे कृषकों सेवा उपलब्ध करायेगी। एग्री क्लीनिक की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक की होगी। कृषकों के आगमन के उपरांत उनके आवश्यकता के अनुरूप विवरणी-2 में अंकित तालिका के अनुसार आवेदन पत्र हेतु प्रपत्र/लेखन सामग्री सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त आवेदन को एग्री क्लीनिक में जमा करने के पश्चात पावती रसीद कृषकों को दी जायेगी एवं विवरणी-2 में वर्णित विवरणी के अनुसार कारवाई की जायेगी। इस संबंध में सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा जिसमें एग्री क्लीनिक में आने वाले कृषकों की पूरी जानकारी उद्देश्य एवं कृत कार्रवाई संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
5. एग्री क्लीनिक में मिनी स्वायल टेस्टिंग लैब के साथ साथ अन्य आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय प्रावधान

6. एक एग्री क्लीनिक संचालन हेतु रु0 7.00 लाख प्रति एग्री क्लीनिक की दर से देय होगा। जो कुल 45 एग्री क्लीनिक हेतु 315.00 लाख (तीन करोड़ पन्द्रह लाख रु0) मात्र होगा। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी-1 के रूप में संलग्न है।
7. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी निम्नवत् की जायेगी।

(राशि लाख रु. में)

क्र०	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-B0-सिंगल विण्डो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल बेस्ड ई-सोल्यूशन, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52 सबसिडी, 01S240100796B00652	154.00
2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उप शीर्ष-B0-सिंगल विण्डो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल बेस्ड ई-सोल्यूशन, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52 सबसिडी, 01S240100109B00652	110.00
3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-B0-सिंगल विण्डो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल बेस्ड ई-सोल्यूशन, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52 सबसिडी, 01S240100789B00652	51.00
	कुल योग	315.00

(तीन करोड़ पन्द्रह लाख रु0) मात्र

34
10-12-2020

(Signature)

(Signature)

8. विदित हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना हेतु कुल रु0 300.00 लाख का बजटीय उपबन्ध है। जिसके अंतर्गत टी0एस0पी0 मद में रु0 180.00 लाख, ओ0एस0पी0 मद में रु0 90.00 लाख एवं एस0सी0एस0पी0 मद में रु0 30.00 लाख राशि है।

ओ0एस0पी0 एवं एस0सी0एस0पी0 मद अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यक राशि का उपबन्ध अनुपूरक/झारखण्ड आकस्मिकता निधि से किया जायेगा।

9. योजना से लाभ- एग्री क्लीनिक के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस योजना के कियान्वयन हेतु कुल 45 अनुमण्डल में ई-मोबाइल एप्स के माध्यम से किसान सूचना संचार क्षेत्र के दायरे में आ जाएंगे। इसके पश्चात् जो भी समसामयिक कृषि विषयक सूचनाएँ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग किसानों तक पहुंचाना चाहेगी वह सूचना उनके मोबाइल में भेजा जा सकता है। किसानों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस यथा - मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज, खाद, कीटनाशी, सुक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ एवं कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
10. एग्री क्लीनिक का संचालन चयनित एजेंसियों/संस्थाओं के द्वारा किया जायेगा, जिसमें महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियाँ/गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) भी हो सकते हैं।
11. कार्यकारी एजेंसियों/संस्थाओं का चयन EoI के माध्यम से जिलास्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जो निम्नवत् होगी:-

- | | |
|--|----------------------|
| (i) उपायुक्त | - अध्यक्ष |
| (ii) उप विकास आयुक्त | - सदस्य |
| (iii) जिला कृषि पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी (एग्री क्लीनिक)- | सदस्य सचिव-सह-संयोजक |
| (iv) जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक | - सदस्य |
| (v) जिले के डी0डी0एम0, नाबाई | - सदस्य |
| (vi) आत्मा के परियोजना निदेशक | - सदस्य |

चयनित एजेंसियों/संस्थाओं को उपायुक्त के साथ एक साल के लिए MoU करना होगा।

12. चयनित संस्थाओं की योग्यता-चयनित एजेंसियों/संस्थाओं को एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों/कृषि कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

13. दल की संरचना (Team Composition)- एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा जो टीम उपलब्ध कराया जायेगा, उसमें कुल तीन सदस्य होंगे, जिसमें एक कर्मी की न्यूनतम योग्यता B.Sc. (Agri) तथा अन्य दो कर्मियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर दक्षता (न्यूनतम DCA) अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस पर तीनों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इनकी कार्य-अवधि सुबह 09.00 बजे से शाम 5.00 बजे होगी। रविवार एवं N.I.Act के तहत घोषित छुट्टियों में एग्री क्लीनिक बन्द रहेगा।

एग्री क्लीनिक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के साथ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष, जनसेवक आदि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य, गव्य, भूमि संरक्षण के पदाधिकारी/कर्मचारी भी सेंटर पर रोस्टर के अनुसार सुबह 09.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन में सहयोग करेंगे।

14. एग्री क्लीनिक के कार्य-

- कृषक के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा,
 - संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा समर्पित K.C.C आवेदन की जाँचोपरांत सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी,
 - कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जाएगी,
 - संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा minetjh.prosixinfotech.com के साइट पर ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध होगी,
 - संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरांत कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा,
 - कृषक के माँग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी,
 - मौसम की भविष्यवाणी एवं तदनुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा,
 - संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा कृषक के कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध सिंचाई सुविधा की समीक्षा के उपरांत सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु विभागीय योजनाओं यथा सरकारी तालाबों का गहरीकरण, वर्षा जल संचयन हेतु डोभा निर्माण, डीप बोरिंग, बिरसा पक्का चेक डैम, परकोलेशन टैंक, सौर उर्जा संचालित पम्प सेट में से आवश्यकता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमि संरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरांत इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध करायेंगे,
 - कृषि/पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/नई योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/ प्रत्यक्ष संबंधी आवश्यक सूचनाएँ/विभिन्न कृषि मेला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सूचनाएँ कृषकों को उपलब्ध कराना/जागरूक करना,
 - पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा एवं स्वीकृति उपरांत इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी,
 - राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्री क्लीनिक के सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जायेगा।
15. कृषि निदेशक/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी (सा0)-सह-प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी इस योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

34
10/12/2020

16. उक्त समिति द्वारा जिले में इन एग्री क्लीनिकों के परिचालन का कार्य सुचारु रूप से करते हुए निर्धारित कार्यसूची पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी (एग्री क्लीनिक) को देना होगा। प्रतिमाह व्यय प्रतिवेदन एवं विपत्र भी उपस्थापित करना होगा ताकि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी की जा सके।
17. e-NAM में पंजीकृत किसानों को SMS के माध्यम से सामायिक कृषि मौसम, फसल, मंडीभाव एवं कीटव्याधि आदि की सूचना देना भी कार्यकारी एजेंसियों का दायित्व होगा। इस कार्य हेतु वे विपणन सचिव से समन्वय स्थापित कर सूची प्राप्त कर लेंगे।
18. राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि वे देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे किसी दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे। साथ ही, निकासी की गई राशि का लेखा संधारण करते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक परिपत्र 2561 दिनांक-17.04.1998, 118 दिनांक-12.01.2007 के साथ-साथ अन्य सभी सुसंगत वित्तीय एवं कोषागार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
20. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सभी संयुक्त कृषि निदेशक के देख-रेख में सम्पूर्ण योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
21. लेखा संधारण का कार्य संबंधित निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अंकेक्षण कार्यों के लिए प्रयुक्त होगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 5 तारीख तक अनिवार्यतः कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।
22. योजना के कार्यान्वयन में विभागीय संकल्प सं0-3172 दिनांक-25.10.2012 तथा 3688 दि0-05.10.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित शक्तियों के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
23. सभी संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक अपने परिक्षेत्रों के अधीन योजना का मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं सघन अनुश्रवण का कार्य करेंगे तथा योजना का सफल कार्यान्वयन कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। अपने परिक्षेत्रों के अधीन योजना का समेकित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 7 तारीख तक अनिवार्यतः कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।
24. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
25. प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति का सहमति प्राप्त है।
26. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

झापांक-03/कृ0रा0यो0-10/2020.....34.....

/कृ0, राँची, दिनांक-10-12-2020

प्रतिलिपि-संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

झापांक-03/कृ0रा0यो0-10/2020.....34.....

/कृ0, राँची, दिनांक-10-12-2020

प्रतिलिपि-कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के आलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल आईडी0-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

झापांक-03/कृ0रा0यो0-10/2020.....34.....

/कृ0, राँची, दिनांक-10-12-2020

प्रतिलिपि-विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/योजना शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

16

एग्री क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाओं संबंधी विवरण

क्र०	उपलब्ध सेवा	कृषक के द्वारा की जाने वाली कारवाई	एग्री क्लीनिक द्वारा की जाने वाली कारवाई	अभियुक्ति
1	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	खेत का स्पष्ट विवरण के साथ आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न० का उल्लेख रहेगा।	कृषक के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	कृषक के आवेदन पत्र की पावति कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
2	किसान क्रेडिट कार्ड	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न० का उल्लेख रहेगा।	संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा समर्पित K.C.C आवेदन की जाँचोपरांत सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी।	कृषक के आवेदन पत्र की पावति कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
3	बीज खाद कीटनाशी	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न० का उल्लेख रहेगा।	कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जाएगी।	खाद/बीज कृषक के कृषि योग्य भूमि के अनुपातिक दिये जोन की अनुशंसा की जायेगी
4	सूक्ष्म सिंचाई	ऑनलाइन आवेदन	संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा minetjh.prosixinfotech.com के साइट पर ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध होगी।	ऑनलाइन आवेदन की पावति कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
5	कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति	ऑनलाइन आवेदन	संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरांत कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावति कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।

34
10-12-2020

CS

by

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2020-21 में एग्री क्लिनिक योजना हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी

राशि (लाख रु० में)

क्र०सं०	जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	संख्या	राशि (@7 lakh)	TSP	OSP	SCSP	TOTAL
1	राँची	राँची, बुण्डू	2	14.00	14.00			14.00
2	गुमला	गुमला, चैनपुर, बसिया	3	21.00	21.00			21.00
3	पश्चिमी सिंहभूम	चाईबासा, पौरियाहाट, जगन्नाथपुर	3	21.00	21.00			21.00
4	लातेहार	लातेहार, महुआटॉइ	2	14.00	14.00			14.00
5	सिमडेगा	सिमडेगा	1	7.00	7.00			7.00
6	दुमका	दुमका	1	7.00	7.00			7.00
7	पूर्वी सिंहभूम	धालभूमगढ़, घाटशिला	2	14.00	14.00			14.00
8	सरायकेला-खरसावा	सरायकेला, चाण्डल	2	14.00	14.00			14.00
9	खूँटी	खूँटी	1	7.00	7.00			7.00
10	साहेबगंज	साहेबगंज, राजमहल	2	14.00	14.00			14.00
11	जामताड़ा	जामताड़ा	1	7.00	7.00			7.00
12	पाकुड़	पाकुड़	1	7.00	7.00			7.00
13	लोहरदगा	लोहरदगा	1	7.00	7.00			7.00
		योग	22	154.00	154.00	0.00	0.00	154.00
14	गिरीडीह	गिरीडीह, डुमरी, खोरी, महुआ, सरिया	5	35.00		21.00	14.00	35.00
15	पलामू	मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छत्तरपुर	3	21.00		19.00	2.00	21.00
16	गढ़वा	गढ़वा, रंका, नगरउंटारी	3	21.00		14.00	7.00	21.00
17	चतरा	चतरा, सिमरिया	2	14.00		7.00	7.00	14.00
18	हजारीबाग	हजारीबाग, बरही	2	14.00		7.00	7.00	14.00
19	बोकारो	चास, बेरमो	2	14.00		7.00	7.00	14.00
20	देवघर	देवघर, मधुपूर	2	14.00		7.00	7.00	14.00
21	गोड्डा	गोड्डा	1	7.00		7.00		7.00
22	धनबाद	धनबाद	1	7.00		7.00		7.00
23	कोडरमा	कोडरमा	1	7.00		7.00		7.00
24	रामगढ़	रामगढ़	1	7.00		7.00		7.00
		योग	23	161.00	0.00	110.00	51.00	161.00
		कुल योग	45	315.00	154.00	110.00	51.00	315.00

34
10-12-2020

सरकार के सुधिव

एगी क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाओं संबंधी विवरण

क्र०	उपलब्ध सेवा	कृषक के द्वारा की जाने वाली कारवाई	एगी क्लीनिक द्वारा की जाने वाली कारवाई	अभियुक्ति
1	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	खेत का स्पष्ट विवरण के साथ आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न० का उल्लेख रहेगा।	कृषक के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	कृषक के आवेदन पत्र की पावति कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
2	किसान क्रेडिट कार्ड	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न० का उल्लेख रहेगा।	संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा समर्पित K.C.C आवेदन की जाँचोपरांत सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी।	कृषक के आवेदन पत्र की पावति कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
3	बीज खाद कीटनाशी	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न० का उल्लेख रहेगा।	कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जाएगी।	खाद/बीज कृषक के कृषि योग्य भूमि के अनुपातिक दिये जोन की अनुशंसा की जायेगी
4	सूक्ष्म सिंचाई	ऑनलाइन आवेदन	संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा minetjh.prosixinfotech.com के साइट पर ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध होगी।	ऑनलाइन आवेदन की पावति कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
5	कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति	ऑनलाइन आवेदन	संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरांत कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावति कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।

34
10-12-2020

[Signature]

[Signature]



ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1314

पत्रांक संख्या :- 34

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 10/12/2020

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

ABOBACKER SIDDIQUE P
SECRETARY

AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND COOPERATIVE, NEPAL HO

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार, झारखण्ड का कार्यालय,
पोस्ट - डोरंडा, राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजनान्तर्गत एग्री क्लीनिक की स्थापना हेतु कुल राशि रू. 315.00 लाख (तीन करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 01 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के, राज्य स्कीम मुख्यशीर्ष - 2401-फसल कृषि-कर्म उपमुख्य शीर्ष - 00-फसल कृषि-कर्म राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	□1,10,00,000.00
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	□1,54,00,000.00
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	□51,00,000.00
कुलराशि :-	□3,15,00,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
01S240100796B00652	B0 - सिंगल बिंदो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल बेस	52 - सबसिटी	
01S240100109B00652	ई-सोल्यूशन	52 - सबसिटी	
01S240100789B00652		52 - सबसिटी	

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

- 2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- 3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता, अनुदान, वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

